भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1529
दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि

1529. श्री आर. के. सिंह पटेलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में हाल के दिनों में आवारा पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो 2015 से 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कोई कार्य योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) आवारा पशुओं की संख्या संबंधी जानकारी पशुधन संगणना के माध्यम से एकत्रित की जाती है जिसे प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है। विगत पशुधन संगणना के अनुसार वर्ष 2019 में 1184494 आवारा गोपशु थे। बुंदेलखण्ड के जिलों समेत आवारा गोपशु की जिला-वार संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं. .	**जिलों के नाम**	**आवारा गोपशु**
		20वीं पशुधन संगणना (2019)
1	आगरा	16916
2	अलीगढ़	28559
3	इलाहाबाद	29045
4	अम्बेडकर नगर	6353
5	अमेठी	8569
6	अमरोहा	1697
7	औरैया	11525
8	आजमगढ़	4924
9	बागपत	3754
10	बहराइच	18988
11	बलिया	7836
12	बलरामपुर	9248
13	बाँदा	47658
14	बाराबंकी	10097
15	बरेली	6972
16	बस्ती	25529

17	बिजनौर	361
18	शाहजहांपुर	29760
19	बुलंदशहरी	16634
20	चंदौली	5577
21	चित्रकूट	68813
22	देवरिया	8393
23	एटा	2568
24	इटावा	10841
25	फैजाबाद	5629
26	फर्रुखाबाद	9844
27	फतेहपुर	19931
28	फिरोजाबाद	6336
29	गौतम बुद्ध नगर	3340
30	गाज़ियाबाद	4543
31	गाजीपुर	16150
32	गोंडा	52615
33	गोरखपुर	10186
34	हमीरपुर	37834
35	हापुड़	3549
36	हरदोई	48173
37	हाथरस/महामाया नगर	12230
38	जालौन	20872
39	जौनपुर	23008
40	झांसी	37431
41	कन्नौज	5642
42	कानपुर देहात	14077
43	कानपुर नगर	26775
44	कासगंज	3716
45	कौशाम्बी	13817
46	खेरी	41939
47	कुशी नगर	672
48	ललितपुर	43498
49	लखनऊ	23003
50	महाराजगंज	1479
51	महोबा	61765
52	मैनपुरी	5694
53	मथुरा	18556
54	मौ	7789
55	मेरठ	4913
56	मिर्जापुर	3897

57	मुरादाबाद	733
58	मुजफ्फरनगर	3207
59	पीलीभीत	14348
60	प्रतापगढ़	25483
61	रायबरेलीक	15513
62	रामपुर	26
63	सहारनपुर	2915
64	संभल	5331
65	संतकबीर नगर	2926
66	संत रविदास नगर	12536
67	शाहजहांपुर	12669
68	शामली	2586
69	श्रावस्ती	21500
70	सिद्धार्थ नगर	14230
71	सीतापुर	17057
72	सोनभद्र	4861
73	सुल्तानपुर	4026
74	उन्नाव	42578
75	वाराणसी	12449
	राज्य कुल	**1184494**

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा गोपशुओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी गैर आश्रय स्थापित किये हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इन गोपशुओं के कल्याण के लिए निधियां प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रहीं योजनाएं इस प्रकार हैं:

1. सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर निकाय इन आवारा पशुओं को अस्थायी आश्रय प्रदान कर रहे हैं और नीति की घोषणा के अनुसार उन्हें आहार दिया जाता है ताकि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त और पूरा किया जा सके, जा इस प्रकार है:

- निराश्रित/आवारा गोपशुओं को आश्रय
- आश्रय में आवारा गोपशुओं के लिए चारे और जल की व्यवस्था करना।
- पीड़ाग्रस्त पशुओं को उचित मेडिकल उपचार प्रदान करना और उन्हें संक्रामक रोग से बचाना और साथ ही नर गायों को बछिया करना।
- मादा गायों के लिए प्रजनन सुविधाएं प्रदान करना।
- आश्रय गृह को आत्म–निर्भर बनाने के लिए गायों से उत्पादित दूध, गाय के गोबर की खाद जैसे उत्पादों की व्यवस्था और उपयोग करना और जनता को आवारा पशुओं की समस्याओं से मुक्त करना।
- 5989 गौआश्रय (राज्य आश्रय स्थानों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित अस्थायी गैर आश्रय/कान्हा गौशेड/कांजी गृह/बड़ और सुरक्षा केंद्र हैं जिसमें 653557 गायें रखी गई है। उपरोक्त के अलावा मुख्यमंत्री भागीदारी योजना के तहत, कुपोषित परिवारों को देखभाल के लिए 104112 गोपशु प्रदान किये गये है।

2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित 567 गौशालाओं को उत्तर प्रदेश गौशला अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किया गया है। ये गौशालाएं गोपशुओं के प्रजनन के अलावा दुर्बल, लंगड़ी बीमार और रोगों से ग्रस्ति गोपशुओं का रखरखाव कर रही हैं। ये गौशालाएं पुलिस तथा अन्य स्रोतों से बचाये गये आवारा गोपशुओं को भी आश्रय प्रदान

करती है। जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत राज्य में गौशालाओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाईन प्रणाली लागू है।

3. आवारा गोपशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए बुंदेलखण्ड डिवीजन के 07 जिलों में पशु आश्रय ग्रहों की स्थापना की गई है।

4. दुर्बल/आवारा गोपशु की समस्याओं का समाधान करने के लिए 303 बड़े गौ सुरक्षा केंद्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रति जिले को प्रति केंद्र 120 लाख रु. प्रदान किये गये हैं जिसमें से 157 पूरे हो चुकें हैं और चालू हो गये हैं।

5. पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (21 अगस्त, 1996 को संशोधित) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में दिये गये प्रावधानों और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2018 के अपने पत्र सं. 9-3/2018-19/पीसीए के दिशानिर्देशानुसार भी लागू किये गये थे, जिसके अनुसार राज्य के स्थानीय निकाय आवारा गोपशुओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। शहरी क्षेत्रों में स्थापित कान्हा गौशालाएं (पशु आश्रय गृह) भी राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

6. भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी नियमित अनुदान के तहत भोजन, दवाईयों और रख-रखाव और साथ ही आश्रय अनुदान के तहत आश्रय गृह बनाने के लिए मान्यता प्राप्त गौशालाओं को निधियां प्रदान करता है।

****